न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 14/2023 बउनवानी केलाश चन्द वर्मा बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर स0मा0
निवासी जय जवान अपार्टमेंट, विद्याधर नगर सै01 जयपुर–302039
GCMS No-2023/16

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
3.3.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 2.1.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. आवेदक कैलाश चन्द वर्मा एवं अन्य कॉलोनीवासी परिवादीगण निवासी विज्ञान नगर स0मा ने एक परिवाद जरिये रजि0 डाक संख्या आरआर 264384082 आईएन दिनांक 17.11.2022 के द्वारा जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को विषयक असामाजिक झगडालू एवं आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति चिरंजी लाल पहाडिया निवासी विज्ञान नगर के विरूद्व कानूनी कार्यवाही करते हुए जिला बदर करने हेतु प्रस्तुत किया था उक्त परिवाद पत्र की मय संलग्नक समस्त दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति।
2. उक्त परिवाद पर परिवादी एवं परिवादी एवं पीडित कॉलोनी वासियों को राहत प्रदान करने हेतु श्रीमान जिला कलेक्टर सवाईमाधोपर द्वारा की गयी कार्यवाही पत्रावली के समस्त पृष्ठ, ऑफिस नोटिंग, एवं एक्सन एवं टेकन रिपोर्ट के समस्त पृष्ठों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।
3. उक्त परिवाद पत्र पर कार्यवाही करने हेतु आपके अधीनस्थ कार्यालय अधिकारी को प्रेषित पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही, दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस कमांक एफ.13(1)(02)सूकाअ/2023/1867 दिनांक 28.2.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 2.1.2023 मे चाही गयी सूचना कुल 25 पृष्ठों की प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग से प्राप्त की जाकर लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 1738 दिनांक 3.2.2023 से अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 2.1.2023 मे चाही गयी सूचना (कुल 25 पृष्ठों की) लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ. 13(1)(02)/सूकाअ/2023/1738 दिनांक 3.2.2023 से अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:36:27 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर